कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

क्रमांक/598/कलेक्टर/भू–अर्जन/प्रस्तुतकार/2026 नारायणपुर, दिनांक 16/02/2026

// प्रारंभिक अधिसूचना //

रा.प्र.क.–202505170400029/अ–82/2024–25, 202505170500005/अ–82/2024–25, 202505170400027/अ–82/2024–25 एवं 202505170400028/अ–82/2024–25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं :–

– अनुसूची –

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
नारायणपुर	छोटेडोंगर	परपा/29	1	0.1320	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी नारायणपुर जिला नारायणपुर	ग्राम बड़गांव से धुरबेड़ा ताडोंनार होते हुए जिला मुख्यालय तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 21.00 कि.मी
			5	0.0836		
			46	0.0264		
			45	0.0726		
			30	0.0836		
			43	0.0110		
			44	0.0594		
			42/1	0.0726		
			40	0.0440		
			29	0.0440		
योग :–			**10**	**0.6292**		
नारायणपुर	छोटेडोंगर	कुम्हारीबेड़ा/30	138	0.049		
			139	0.051		
			147	0.028		
			123	0.034		
			122	0.034		
			119	0.064		
			151	0.013		
			150	0.055		
योग :–			**8**	**0.328**		

नारायणपुर	नारायणपुर	ताड़ोनार/25	4	0.1408		
			11	0.0620		
			17	0.0240		
			18	0.0836		
			55	0.1364		
			56	0.0638		
योग :–			**6**	**0.5106**		
नारायणपुर	नारायणपुर	गोटाबेनूर/23	4	0.061		
			17	0.130		
			16	0.012		
			20	0.022		
			13	0.05		
			24	0.18		
			26	0.004		
			39	0.19		
			40	0.040		
योग :–			**9**	**0.689**		
कुल योग :–			**33**	**2.157**		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नारायणपुर, जिला नारायणपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Namrata

नम्रता जैन
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक / 599 / कलेक्टर / भू–अर्जन / प्रस्तुतकार / 2026
प्रतिलिपि :–

नारायणपुर, दिनांक 16.02.2026

1. सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) जिला नारायणपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिाकरी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी नारायणपुर को उपलब्ध करावे।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग– 1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला नारायणपुर को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग. शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. तहसीलदार नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सचिव, ग्राम पंचायत कुम्हारीबेड़ा / गोटाबेनूर / ताड़ोनार / परपा (जनपद पंचायत नारायणपुर) जिला नारायणपुर को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Namrata

नम्रता जैन
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग